रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 28, 1974/चैत्र 7, 1896

No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 1974 CHAITRA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 28th March 1974

S.O. 220(E).—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Limited, Lucknow (financial institution) for the purposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1973 and any subsequent assessment year.

[No. 583/147(5)/73-TPL]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली 28 मार्च, 1974

का० आ० 220 (अ).—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (v) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इंवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड लखनऊ को, प्रथम अप्रैल, 1973 का या से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्–वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्था अधिसूचित करती है।

[सं० 583/147(5)/73–टी पी एल]

आर० डी० शाह, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1974